

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

**वादीगण**  
दरगाराम पुत्र भगाराम जाति मेघवाल  
निवासी माताजी का वाडा तहसील बाली वगैरा

**बनाम**

**प्रतिवादी**  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/215**  
**वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07-05 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम माताजी का वाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 282, 286 कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.3300 हैक्टर कुल लगान 75.5600 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, माताजी का वाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
**सहायक कलक्टर एवं पदेन्**  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
दरगाराम पुत्र भगाराम जाति मेघवाल  
निवासी माताजी का वाडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/215  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम माताजी का वाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 282, 286 कुल खसरा 02 कुल रकबा 4.3300 हैक्टर कुल लगान 75.5600 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, मोखमपुरा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/05/25 को जारी की गई।




(दिनेश विश्णोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली




मोका कब्जा काशत का नजरी नक्शा निम्नानुसार है




  
(श.नि. दशगारान)


  
(श.नि. दीलाराज)

  
  
(श.नि. शमाराज)  


  
तहसीलदार (मू.अ.) बाली

  
छगनलाल  
निरीक्षक (मू.अ.)  
पृथ्वीराजपुरा तह. बाली

  
पटवारी (मू.अ.)  
पटवारमण्डल - मौराप्रपुरा  
तह. बाली जिला-पाली